

राजस्थान सरकार

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पत्रबारी व भू.अ.नि.
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार
 पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व
 जिला की अगमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में
 दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	यासकाव अर्ज मुल्कावा	31	नरेन्द्र कुमार पुत्र श्रीकांत	नरेन्द्र कुमार पुत्र श्रीकांत

(
 प्रमाणित पीठासीन अधिकारी
 पंचा लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक :- 78

दिनांक :- 30/5/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर धारणा रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(
 प्रमाणित पीठासीन अधिकारी
 पंचा लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर